DRAFT

बाल कल्याण समिति

मॉड्यूल
5

unicef | for every child

विषय-सूची

संक्षिप्ताक्षर *2*

बाल कल्याण समिति 3

सत्र 1: बाल कल्याण समिति की परिभाषा, संरचना और गठन 4

सत्र 2: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (CNCP) से संबंधित प्रक्रिया 8

सत्र 3: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (CNCP) से संबंधित आदेश 12

संलग्नक 21

संक्षिप्ताक्षर

सी.सी.एल.	:	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.एन.सी.पी.	:	देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे
सी.डब्ल्यू.सी.	:	बाल कल्याण समिति
सी.डब्ल्यू.पी.ओ.	:	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
डी.सी.पी.यू.	:	जिला बाल संरक्षण इकाई
डी.एम.	:	जिला मजिस्ट्रेट
आई.सी.पी.एस.	:	समेकित बाल संरक्षण योजना
जे.जे.एक्ट	:	किशोर न्याय अधिनियम
एन.जी.ओ.	:	गैर सरकारी संस्था
पी.ओ.	:	परिवीक्षा अधिकारी
एस.ए.ए.	:	विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण
एस.जे.पी.यू.	:	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एस.ओ.पी.	:	मानक संचालन प्रक्रिया

मॉड्यूल 5

समय
3 घण्टे, 45 मिनट

बाल कल्याण समिति

परिचय

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन करने के लिए राज्य सरकार कानूनी रूप से बाध्य हैं। इस मॉड्यूल में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संदर्भ में बाल कल्याण समिति के अधिकारों कार्यों और जिम्मेदारियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम के तहत आने वाले बच्चों के लिए विभिन्न पुनर्वास के तरीकों का भी उल्लेख किया गया है जिसके लिए यह समिति आदेश पारित कर सकती है।

सुगमकर्ता के लिए: सुगमकर्ता इस मॉड्यूल के अंत में इंगित अभिलेखों को अतिरिक्त पाठ्य एवं संदर्भ सामग्री के रूप में पढ़ने के बाद ही इस मॉड्यूल का सुगमीकरण करें। बाल कल्याण समिति की मानक कार्य पद्धति (Standard Operating Procedures) भी अतिरिक्त पाठ्य सामग्री में शामिल है। मॉड्यूल के भाग 2 में प्रतिभागियों/सुगमकर्ता के लिए कुछ अभ्यास तथा केस स्टडी दी गई है।

उद्देश्य

मॉड्यूल के समाप्त होने तक प्रतिभागी:

- बाल कल्याण समिति की परिभाषा दे पाएंगे।
- बाल कल्याण समिति संरचना तथा गठन की रूपरेखा बता पाएंगे।
- बाल कल्याण समिति के कार्यों और अधिकारों का वर्णन कर पाएंगें
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संदर्भ में बाल कल्याण समिति की कार्य पद्धति का वर्णन कर पाएंगे।

सत्र-1

बाल कल्याण समिति की परिभाषा, संरचना और गठन

समय
45 मिनट

चरण 1

प्रतिभागियों से पूछें कि वे सी.डब्ल्यू.सी. से क्या समझते हैं। उनके उत्तरों को सुनें और विस्तृत करें:

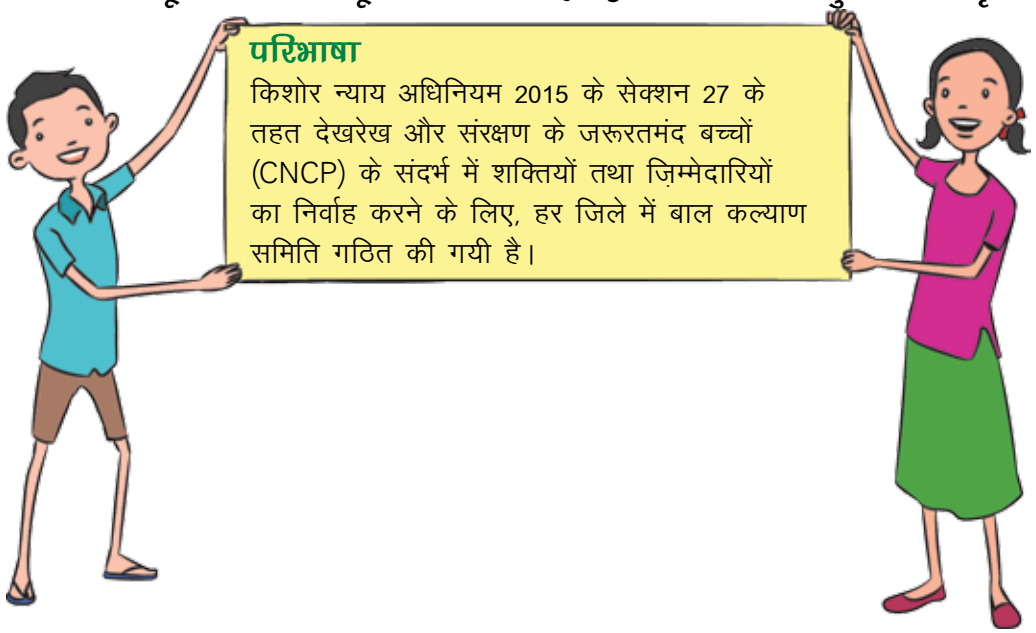

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (2006 में संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में एक अथवा दो को बाल कल्याण समिति गठित करना अनिवार्य है। प्रत्येक बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष बाल कल्याण मुद्दों की अच्छी समझ हो और सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। बाल कल्याण समिति को उतनी ही शक्ति है जितनी किसी महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) को है।

किसी भी पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, चाईल्ड लाईन के कर्मचारी, कोई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, जिम्मेदार नागरिक द्वारा बच्चे को अथवा बच्चा स्वयं बाल कल्याण समिति (CWC) (या आवश्यक होने पर किसी सदस्य) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

मामले की जांच के दौरान संरक्षण देने के लिए तथा बच्चे को बाल कल्याण समिति सामान्यतः बाल गृह (Children's Home) भेज देती है। बाल कल्याण समिति बच्चे की पृष्ठभूमि जानने तथा उसकी समस्या को समझने के लिए बच्चे से मिलती है तथा उससे पूछताछ करती है। इस केस के इंचार्ज परिवीक्षा अधिकारी (Probation officer) को अपनी रिपोर्ट भी नियमित देते रहना चाहिए। बाल कल्याण समिति का कार्य बच्चे का सर्वोच्च हित और उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण युक्त घर ढूंढना है जिसमें वह अपने जैविक माता–पिता या गोद लेने वाले माता–पिता, पालक देखभाल या संस्था में सुरक्षित रह सके।

बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे के दाखिले के चार माह के अन्दर अन्तिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। बाल कल्याण समिति के पास यह भी अधिकार है कि वह बाल श्रम के मामले में बच्चे की स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्यवाही कर सके। इसमें काम कराने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाना या बच्चे को बॉंड दिलवाया जाता है। बाल कल्याण समिति का यह भी अधिकार है कि वह बच्चे को उसके घर से नज़दीक या उसके राज्य की बाल कल्याण समिति में स्थानांतरण करे ताकि केस का निस्तारण हो और बच्चा अपने परिवार या समुदाय से पुनः मिल सके।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के प्रावधानों के अनुसार, बाल कल्याण समिति के गठन के लिए भारत सरकार द्वारा 2 बार ग्रांट दिया जाता है: इसमें 9.9 लाख का निर्माण और रखरखाव ग्रांट और 6.19 लाख का रखरखाव ग्रांट शामिल है। बाल कल्याण समिति को स्थापित करने में आने वाले खर्च का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकारें क्रमशः 35:65 के अनुपात में करती हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर तथा नार्थ–ईस्ट में यह अनुपात 90:10 का है।

रूपरेखा और गठन (सेक्शन 27, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए या अधिक (आवश्यकतानुसार) बाल कल्याण समिति की अधिसूचना जारी करेगी।
- बाल कल्याण समिति में राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले पांच व्यक्ति होंगे जिनमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। इन सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक है तथा एक सदस्य बाल कल्याण के मुद्दों में विशेषज्ञ होना चाहिए।
- उपयुक्त संचालन के लिए कमेटी को एक सेक्रेटरी तथा सेक्रेटेरियल सहायता जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्पोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
- समिति के एक सदस्य ऐसे हों जो स्वास्थ्य, शिक्षा या बच्चों की कल्याणकारी गतिविधियों में कम से कम सात वर्षों से सक्रिय रूप से शामिल हो, एक कार्यरत पेशेवर हो जो बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या कानून या समाज कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास में डिग्री धारक हों।
- सदस्यों को प्रतिनियुक्त करने की अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सेक्शन 27 (7) में लिखित कारणों में राज्य सरकार की छानबीन के बाद समिति के किसी भी सदस्य को समिति से निष्कासित किया जा सकता है।
- समिति एक न्यायपीठ (बैंच) के रूप में कार्य करेगी और कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसीजर 1973 द्वारा (Code of criminal procedure) इसकी प्रदत्त शक्तियां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या केस के अनुसार प्रथम श्रेणी के जुडीशियल मजिस्ट्रेट को समान इस समिति के अधिकार होंगे।
- जिलाधिकारी (District Magistrate) को प्रत्येक तिमाही इस समिति के कार्यों की समीक्षा करनी होगी।
- बाल कल्याण समिति के शिकायत निवारक अधिकारी जिलाधिकारी (District Magistrate) होंगे।

चरण 2

प्रतिभागियों से बाल कल्याण समिति की कार्य पद्धति के बारे में पूछें। उत्तरों को ध्यान से सुनें और छूटे हुए बिन्दुओं को जोड़ें।

बाल कल्याण समिति की कार्य पद्धति (सेक्शन 28, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

1. समिति प्रत्येक माह में कम से कम 21 दिन बैठक करे और अपनी बैठकों में कार्य के दौरान निर्धारित नियमों एवं कार्य पद्धति का पालन करे।
2. समिति द्वारा किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्थान के कार्यों तथा बच्चों की स्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया भ्रमण, समिति की एक बैठक के रूप में माना जाएगा।

3. जब समिति की बैठक न चल रही हो तो देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद वाले बच्चे को समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उस बच्चे को बाल गृह अथवा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के पास रखा जा सके।
4. समिति द्वारा कोई निर्णय लेते समय सदस्यों के विचारों में अंतर होने की स्थिति में बहुमत मान्य होगा, किन्तु जब बहुमत न हो तब अध्यक्ष का विचार मान्य होगा।
5. किसी भी सदस्य की अब स्थिति में कार्य कर सकती है। प्रक्रिया के दौरान किसी सदस्य की अनुपस्थिति में लिया गया कोई भी आदेश रद्द नहीं होगा, बशर्ते कि अंतिम फैसले के समय समिति के कम से कम तीन सदस्य उपस्थित हों।

चरण 3: बाल कल्याण समिति की शक्तियां और कार्य क्या हैं?

शक्तियां और कार्य (सेक्शन 29 और 30, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

शक्तियां

1. समिति के पास देखरेख और संरक्षण को जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निर्णय लेने तथा इसके साथ ही साथ उनकी बुनियादी जरूरतों और संरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार है।

2. अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र में गठित बाल कल्याण समिति के पास चाहे उस क्षेत्र में कोई भी कानून लागू हो, यह अधिकार है कि देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामलों की हर कार्यवायी केवल यह समिति करेगी।

कार्य

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (CNCP) के संदर्भ में इस समिति के कार्य और जिम्मेदारियां निम्न हैं:

1. समिति के समक्ष प्रस्तुत बच्चों का संज्ञान लेना।
2. हर ऐसे मुद्दे पर छानबीन करना जिससे अधिनियम के तहत आने वाले बच्चों की सुरक्षा या खुशहाली प्रभावित होती हो।
3. बाल कल्याण अधिकारियों (CMOs) या परिवीक्षा अधिकारियों (POs) या जिला बाल संरक्षण इकाईयों (DCPUs) या गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) को सामाजिक छानबीन करने तथा समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना।

4. देखरेख और संरक्षण को जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति (फिट पर्सन) घोषित करने के लिए जांच पड़ताल करना।
5. पालक देखभाल (Foster Care) में बच्चे की व्यवस्था के लिए निर्देश देना।
6. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल योजना (Individual Care Plan) के अनुसार देखभाल, संरक्षण, उपयुक्त पुनर्वास या पुनः प्रतिष्ठापन सुनिश्चित करना तथा माता–पिता या अभिभावकों या उपयुक्त व्यक्तियों (फिट पर्सन) या चिल्ड्रेन होम या उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) को आवश्यक निर्देश देना।
7. संस्थागत सहयोग की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की उम्र, लिंग, अक्षमता और आवश्यकता के अनुसार संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए उपयुक्त पंजीकृत संस्था का चयन करना।
8. परित्यक्त या गुमशुदा बच्चों को सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनके परिवार से मिलवाने का हर संभव प्रयास सुनिश्चित करना।
9. जांच उपयुक्त के बाद अनाथ, परित्यक्त और त्यागे हुए बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना।
10. पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे के पुनर्वासन के लिए कार्यवाही करना, जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की जरूरतमंद बच्चे के रूप में समिति के समक्ष प्रतिवेदित किया गया हो।
11. बोर्ड (JJB) द्वारा संदर्भित, देखरेख और संरक्षण को जरूरतमंद बच्चों के लिए कार्यवाही करना।

बाल कल्याण समिति के अन्य कार्य और जिम्मेदारियां

12. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की आवासीय संस्थाओं का प्रत्येक माह कम से कम दो बार निरीक्षण करना तथा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को इन संस्थाओं की सेवाओं की गुणवत्ता में बेहतरी लाने के लिए सिफारिशें भेजना।
13. अभिभावकों द्वारा परित्याग (Surrendered Child) किए गए बच्चों की कार्यवायी के कागजातों को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें पुनः अपने निर्णय पर विचार करने का समय दिया जाए तथा भरपूर प्रयास करना कि परिवार एक साथ रहे।
14. मामलों का स्वयं से पहले करके संज्ञान लेना और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचना जिन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, बशर्ते कि यह निर्णय कम से कम समिति के तीन सदस्यों ने लिया हो।
15. जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार के सहयोग से बच्चों के मामलों और संरक्षण से संबन्धित विभागों जैसे पुलिस, श्रम आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।
16. बच्चों की देखभाल करने वाली किसी भी संस्था में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर समिति जांच करेगी और पुलिस या जिला बाल संरक्षण इकाई या श्रम विभाव या चाईल्ड लाईन सेवाओं को केस की आवश्यकता के अनुसार निर्देश देगी।

17. बच्चों के लिए उपयुक्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (CNCP) से संबंधित प्रक्रिया

समय
60 मिनट

चरण 1: समूह कार्य

प्रतिभागियों को चार समूहों में बांट दें। प्रत्येक समूह को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद एक बच्चे की स्थिति दें और उस बच्चे के लिए पालन किए जाने वाली कार्य पद्धति के बारे में चर्चा करने के लिए कहें। स्थितियां नीचे दी गयी हैं:

1. अखिलेश एक 13 वर्ष का बच्चा है जो एक ढाबे पर काम करता है। उसे प्रतिदिन 12 से 14 घण्टे काम करना पड़ता है। उसका मालिक अक्सर उसे मारता है, बेल्ट से पीटता है और उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता है। उसे अक्सर खाना भी नहीं दिया जाता। बाल श्रम की रोकथाम के लिए कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से पुलिस ने एक संयुक्त छापा मारकर (Joint Raid) उसे मुक्त किया।

2. एक अस्पताल के नज़दीक एक कूड़ेदान में एक नवजात बच्चा अखबार में लिपटा पाया गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और वह नवजात बच्चा बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया गया।
3. मंजू एक 14 वर्ष की लड़की है। उसका चाचा उसे गांव से शहर यह वादा करके लाया कि उसे एक अच्छी सी नौकरी दिला देगा। शहर आने के बाद उससे सुबह से शाम तक काम करवाया जाता था, कोई वेतन नहीं दिया जाता था। उसके घर वालों से संपर्क भी नहीं करने दिया जाता था और कुछ दिनों बाद उसे एक वेश्यालय में बेच दिया गया।

4. गणेश एक 15 वर्ष की उम्र का बच्चा है। माता–पिता की मृत्यु के बाद वह फुटपाथ पर अपना जीवन बिताता है। वह ऐसे लोगों के एक गुट के साथ रहता है जो शराब पीते हैं और ड्रग्स का सेवन करते हैं। उसे एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

चरण 2: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए कार्य पद्धति

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामलों की कार्यवायी करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम द्वारा निर्धारित बाल कल्याण समिति की कार्य पद्धति।

समिति के समक्ष प्रस्तुत करना (सेक्शन 31, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

1. देखरेख और संरक्षण को जरूरतमंद किसी भी बच्चे को निम्न व्यक्तियों द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है:
   - कोई भी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई का कोई अधिकारी या कोई भी श्रम कानून (जो उस वक्त लागू हो) के तहत पदस्त निरीक्षक कोई भी लोक सेवक।
   - चाईल्ड लाईन सेवाएं या कोई भी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था या राज्य सरकार द्वारा मनोचित कोई भी एजेन्सी।
   - बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी।
   - कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या सार्वजनिक जिम्मेदारी समझने वाला कोई नागरिक।
   - बच्चा स्वयं।
   - कोई भी नर्स, डॉक्टर या किसी नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह का प्रबन्धन तंत्र।

अभिभावकों से अलग पाए गए बच्चे की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया क्या होगी?

बच्चों की रिपोर्टिंग

1. अभिभावकों से अलग पाए गए बच्चों की अनिवार्य रिपोर्टिंग (सेक्शन 32, किशोर न्याय अधिनियम 2015)
   - कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या कोई नर्सिंग होम या अस्पताल या प्रसूति गृह जो किसी बच्चे को पाता है या उसे कोई बच्चा दिया जाता है और उसे परित्यक्ता या गुमशुदा बताया जाता है, या अगर कोई बच्चा अनाथ दिखता है और बिना पारिवारिक सहायता के है और अनाथ बताया जाता है तो 24 घण्टे के अन्दर (यात्रा के समय को छोड़कर) बाल कल्याण समिति को सूचित करें (या चाईल्ड लाईन सेवाओं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जिला बाल संरक्षण इकाई या एक्ट के तहत पंजीकृत बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था को सौंप दें)।

- अगर सेक्शन 32 के अनुसार निर्धारित समय में बच्चे की सूचना नहीं दी जाती है तो यह कृत्य कानून का उल्लंघन माना जाएगा और दोषी को छः माह तक की कैद या दस हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है (सेक्शन 33 और 34 किशोर न्याय अधिनियम 2015)

2. त्यागे गए (Surrendered Child) बच्चे (सेक्शन 35 किशोर न्याय अधिनियम 2015) – माता–पिता या अभिभावक जो शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपना बच्चा त्यागना चाहते हैं उन्हें बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। परामर्श और जांच की निर्धारित प्रक्रिया के बाद अगर समिति संतुष्ट हो जाती है तो माता–पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे को त्यागने का दस्तावेज तैयार करना होगा।

3. माता–पिता या अभिभावकों को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा और इस दौरान बाल कल्याण समिति उपयुक्त छानबीन के बाद बच्चे को या तो माता–पिता या अभिभावक के पास उपयुक्त निरीक्षण में रहने की अनुमति दे सकती है या अगर बच्चा छः वर्ष से कम उम्र का है तो उसे स्पेशलाईज एडाप्शन एजेन्सी विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण (Specialised adoption agency) में और अगर बच्चा छः वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसे बाल गृह (Childrens Home) में रख सकती है।

अगर जैविक माता/जैविक माता–पिता अपने बच्चे का त्याग (Surrender) करना चाहते हैं तो बाल कल्याण समिति के पास सीधे या किसी एजेन्सी के माध्यम से आ सकते हैं।

बाल कल्याण समिति जैविक माता/जैविक माता–पिता से अवश्य पूछताछ करे और उन कारणों की छानबीन करे जिसकी वजह से मां/माता–पिता अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हैं। अगर बच्चे को छोड़ने का कारण कोई ऐसी समस्या है जिसे अन्य तरीकों जैसे पालक देखभाल (Foster Care), प्रायोजन (Sponsorship) या अल्पकाल संस्थागत देखभाल या सरकार की अन्य योजनाओं से दूर किया जा सकता है तो बाल कल्याण समिति को केवल यह जानकारी देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि माता–पिता को परामर्श देने का भी भरपूर प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चों को त्यागने की स्थिति उत्पन्न न हो।

आवश्यक हो तो मां या माता–पिता को किसी व्यावसायिक एजेंसी के पास परामर्श के लिए भेजा जाए ताकि जिन कारणों या कमियों से वे बच्चे को छोड़ना चाहते हैं उनका सामना करने का सामर्थ्य उनमें विकसित हो सके। यह भी हो सकता है कि माता–पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेना ही न चाहते हों। ऐसी स्थिति में भी परामर्श देना कारगर होगा। बाल कल्याण समिति निर्णय लेने में जल्दबाजी न करे अपितु परामर्श के द्वारा यह प्रयास करे कि बच्चा अपने जैविक माता–पिता के साथ ही रहे। अन्तिम निर्णय परामर्शदाता (Counsellor) की विस्तृत आंकलन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही लिया जाए।

चरण 3: बच्चे के साथ-साथ रिपोर्ट प्राप्ति पर क्या जांच की जानी चाहिए?

जांच (रोकथाम 36, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

1. बच्चे को प्रस्तुत किए जाने पर या रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समिति स्वयं जांच करे और बच्चे को बाल गृह या उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) या उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) भेजने और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक छानबीन के लिए आदेश पारित करे।
2. सभी छः वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो अनाथ हैं, परित्यक्त हैं या छोड़ दिए गए प्रतीत होते हैं उन्हें उपलब्धता अनुसार विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण (Specialised Adoption Agency) में रखा जाए।
3. सामाजिक जांच को 15 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जाए ताकि बाल कल्याण समिति बच्चे को प्रस्तुत किए जाने के दिन से चार माह के अंदर अपना अन्तिम निर्णय पारित कर सके।
4. अनाथ, परित्यक्त या छोड़ दिए गए बच्चों के मामले में समिति अपनी जांच सेक्शन 38 के अनुसार पूरी करके बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी।
5. जांच पूरी हो जाने के बाद अगर समिति की यह राय हो कि बच्चे का परिवार या कोई प्रत्यक्ष सहारा नहीं है और वह देखभाल तथा संरक्षण का निरंतर जरूरतमंद है तो जब तक कि बच्चे के लिए उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था न खोज ली जाए या बच्चा जब तक 18 वर्ष का न हो जाए, समिति उस बच्चे को विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण (Specialised Adoption Agency) में भेज सकती है।
6. बाल गृह या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति या पालक परिवार में रखे गये बच्चे की स्थिति की समीक्षा बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित तरीके से की जाए।
7. प्रत्येक त्रैमास में समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को मामलों के निर्णयों की स्थिति, कितने मामलों का फैसला हो गया तथा कितने मामले अभी बकाया हैं की प्रस्तावित तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि इनकी समीक्षा हो सके।

- समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अगर आवश्यक हो तो बकाए मामलों के संदर्भ में समिति को बकाया मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए और इस तरह की समीक्षा की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाए ताकि अगर जरूरत हो तो राज्य सरकार अतिरिक्त समिति का गठन कर सके।
- बकाया मामलों के निस्तारण के लिए दिशा–निर्देश प्राप्त होने के तीन माह बाद भी अगर समिति बकाया मामलों के निस्तारण में असफल रहती है तो राज्य सरकार उस समिति को भंग करके एक नई समिति गठित कर सकती है।
- नई समिति के गठन में देरी होने की स्थिति में नज़दीकी जिले की बाल कल्याण समिति उस क्षेत्र की जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगी जब तक कि नई समिति गठित न हो जाए।

सत्र-3

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (CNCP) से संबंधित आदेश

समय
120 मिनट

चरण 1: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेश (सेक्शन 37 (1) किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

सुगमकर्ता के लिए टिप्पणी

अधिनियम और नियमों में दिए गए आदेशों के वास्तविक प्रारूप मॉड्यूल के अंत में संलग्न हैं। सुगमकर्ता सत्र की योजना इस तरह बनाएं कि प्रतिभागी यह जान सकें कि कौन सा आदेश प्रारूप किस स्थिति के लिए भरा जाएगा। मॉड्यूल के भाग II में दिए गए चार मामलों की स्थिति के आधार पर यह अभ्यास कराया जाएगा।

जांच के बाद समिति के संतुष्ट होने पर कि उसके समक्ष प्रस्तुत बच्चा एक देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा है तो उसकी सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए तथा बच्चे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए समिति निम्न में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकती है:

- घोषित करना कि बच्चा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा है।
- बाल कल्याण अधिकारी या पदस्थ सामाजिक कार्यकर्ता की निगरानी में या बिना निगरानी के बच्चे को माता–पिता या अभिभावक या परिवार को सुपुर्द करना।
- इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि बच्चे के परिवार को ढूंढा नहीं जा पा रहा है या अगर ढूंढ लिया भी गया हो तो परिवार को बच्चा सुपुर्द करना बच्चे के हित में नहीं है, बच्चे की बाल गृह या उपयुक्त सुविधा या दत्तक–ग्रहण (Adoption) के लिए विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण (Specialised Adoption Agency) में बच्चे को रखना (बॉक्स 1 देखें)
- लम्बे समय या कुछ समय की देखरेख में बच्चे को उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के पास रखना (बॉक्स 2 देखें)।
- पालक देखरेख (Foster Care) के आदेश (बॉक्स 3 देखें)।
- प्रायोजन (Sponsorship) के आदेश (बॉक्स 4 देखें)।
- ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं या सुविधाओं को निर्देशित करना जिनकी देखरेख में बच्चे को देखरेख, संरक्षण और बच्चे के पुनर्वास के लिए रखा गया है। तत्कालिक शरण और चिकित्सीय देखभाल, मनोचिकित्सा तथा मनोसामाजिक सहायता और इसके साथ–साथ जरूरत के मुताबिक परामर्श, व्यावसायिक चिकित्सा या आदत बदलने की चिकित्सा, कौशल विकास प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, शैक्षिक सेवाएं एवं अन्य विकास संबंधी गतिविधियां शामिल हों, के लिए आवश्यकता

अनुसार निर्देश देना भी शामिल है। इसके साथ ही साथ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखना और फॉलोअप करना।

- बच्चा दत्तक–ग्रहण (Adoption) के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र है इसकी घोषणा करना (बॉक्स 5 देखें)।

बाल कल्याण समिति निम्न आदेशों को भी पारित कर सकती हैं:

- पालक देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्ति को घोषित करना।
- पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) के लिए सहायता करना।
- किसी अन्य कार्य के लिए कोई अन्य आदेश देना जैसा कि प्रस्तावित हो।
- बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेशों के प्रारूप संलग्नक 1 से 9 तक देखे जा सकते हैं।

बॉक्स 1: उपयुक्त सुविधा (Fit Facility)

1. समिति पर्याप्त छानबीन के बाद ऐसी उपयुक्त सुविधा को चिन्हित करेगी जो तत्कालीन कानूनन वैद्य स्वैच्छिक या सरकारी संस्था अथवा पंजीकृत गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाई जा रही हो कि वह संस्था अस्थायी रूप से, किसी विशेष कारण के लिए, बच्चे की जिम्मेदारी तथा देखरेख के लिए मान्य है।
2. लिखित रूप से कारणों को दर्ज करने के बाद समिति इस मान्यता को वापस ले सकती है।

बॉक्स 2: उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person)

1. प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बाल कल्याण समिति किसी व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकती है जिसे किसी बच्चे को एक निश्चित अवधि के लिए देखरेख, संरक्षण और उपचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
2. बाल कल्याण समिति मामले के अनुसार कारणों को लिखित रूप से दर्ज करने के बाद इस मान्यता को वापस ले सकती है।

बॉक्स 3: पालक देखरेख (Foster Care) – (सेक्शन 44, किशोर न्याय अधिनियम)

1. छोटे या लम्बे समय तक के लिए बच्चों को समिति के आदेश से पालक देखरेख में रखा जा सकता है जिसमें समूह पालक देखरेख भी शामिल है। प्रस्तावित कार्य पद्धति का पालन करते हुए ऐसा परिवार जो बच्चे के दत्तक या जैविक माता–पिता से संबंधित नहीं है या जो परिवार बच्चे से जुड़ा नहीं है, को अगर राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्य के लिए उपयुक्त पालक परिवार माना गया है तो उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
2. पालक परिवार का चयन उनकी क्षमता, कार्य कुशलता, नीयत और बच्चों की देखरेख के पूर्व अनुभव के आधार पर होगा।
3. पालक परिवार में भाई बहनों को एक साथ रखने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए, जब तक कि एक साथ रखना बच्चों के हित में न हो।

4. राज्य सरकार बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से पालक देखरेख करने वाले परिवार को मासिक रूप से धन राशि (Fund) उपलब्ध कराएगी।
5. बच्चे के माता–पिता निश्चित अंतराल पर पालक देखरेख में रह रहे अपने बच्चे से मिल सकते हैं बशर्ते कि समिति की नज़र में माता–पिता का मिलना बच्चे के हित में न हो।
6. पालक परिवार बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने का उत्तरदायी होगा तथा उसे बच्चे की समग्र खुशहाली सुनिश्चित करनी होगी।
7. समिति प्रतिमाह बच्चे की खुशहाली की जांच करने के लिए पालक परिवार का निरीक्षण करेगी और अगर पालक परिवार बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर रहा हो तो समिति उस बच्चे की जिम्मेदारी दूसरे पालक परिवार (जो समिति की नज़र में ठीक है) को दे देगी।
8. समिति किसी भी बच्चे को जो दत्तक–ग्रहण (Adoption) के लिए उपयुक्त है, पालक परिवार को लम्बे समय के लिए नहीं देगी।

बॉक्स 4: प्रायोजन (Sponsorship) (सेक्शन 45, किशोर न्याय अधिनियम)

1. बच्चों के लिए विभिन्न प्रायोजन कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी जैसे व्यक्ति का व्यक्ति को प्रायोजन, समूह प्रायोजन या सामुदायिक प्रायोजन।
2. प्रायोजन के लिए निम्न मापदण्ड शामिल हैं:
   - जहां मां विधवा या तलाक शुदा है या परिवार द्वारा छोड़ दी गई है।
   - जहां बच्चे अनाथ हैं और परिवार के साथ रह रहे हैं।
   - जहां माता–पिता जीवन के लिए खतरे वाली बीमारियों के शिकार हैं।
   - जहां माता–पिता दुर्घटना के कारण अक्षम हो गए हैं और शारीरिक तथा आर्थिक रूप से बच्चे की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं।
3. प्रायोजन की अवधि प्रस्ताव के अनुरूप होनी चाहिए।
4. प्रायोजन का कार्यक्रम परिवारों, बाल गृहों और विशेष गृहों को अतिरिक्त सहायता के रूप में हो सकता है जिससे बच्चे की शैक्षिक, चिकित्सीय, पोषणात्मक तथा अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके, एवं जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

बॉक्स 5: दत्तक-ग्रहण (Adoption) के लिए बच्चे को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की कार्य पद्धति (सेक्शन 38, किशोर न्याय अधिनियम)

1. अनाथ या परित्यक्त बच्चे के मामले में समिति को बच्चे के माता–पिता या अभिभावकों को खोजने का हर संभव प्रयास करने चाहिए और जांच पूरी हो जाने के बाद अगर यह स्थापित हो जाए कि बच्चा अनाथ है तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या वह परित्यक्त है तब समिति यह घोषणा कर देगी कि बच्चा दत्तक–ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र है।

2. इस प्रकार की घोषणा अगर बच्चा 2 वर्ष तक की उम्र का है तो बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के दो माह के भीतर तथा यदि बच्चा दो वर्ष से अधिक उम्र का है तो प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर करनी होगी।
3. परित्यक्त या त्यागे गए (Surrenderd) बच्चे की जांच की प्रक्रिया में, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी जैविक माता–पिता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाएगी।
4. त्यागे हुए (Surrenderd) बच्चे के मामले में, त्याग करने के प्रार्थना पत्र पर, समिति द्वारा बच्चे को जिस संस्था में रखा गया है उस संस्था को दो माह पूरा होते ही समिति के समक्ष मामला (Case) लाना चाहिए ताकि समिति बच्चे को दत्तक–ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कर सके।
5. अधिनियम के तहत कार्य पद्धति का पालन करते हुए मानसिक रूप से पिछड़े माता–पिता के बच्चे या यौन उत्पीड़न की शिकार के अनचाहे बच्चे को समिति दत्तक–ग्रहण (Adoption) के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकती है।
6. अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए (Surrenderd) बच्चे को कानूनी रूप से दत्तक–ग्रहण (Adoption) के लिए 'कानूनी रूप से स्वतंत्र' घोषित करने का निर्णय समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिया जाना चाहिए।
7. प्रत्येक माह समिति को, कितने बच्चे दत्तक–ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए हैं और कितने मामले विलम्बित हैं, इसकी जानकारी जो भी तरीका प्रस्तावित हो उस तरीके से राज्य एजेन्सी और प्राधिकारी को देनी चाहिए।

चरण 2: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे का 'वापस भेजा जाना' (Restoration) (सेक्शन 40, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे का वापस भेजा जाना (Restoration of CNCP):

1. बाल गृह (Childrens Home), विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण (Specialized Adoption Agency) और खुला आवास (Open Shelter) का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे को वापस भेजा जाना (Restoration) तथा संरक्षण होना चाहिए।
2. बाल गृह (Childrens Home), विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण (Specialized Adoption Agency) और खुला आवास (Open Shelter) ऐसे कदम उठाएं जो देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे अपने परिवारिक वातावरण से कुछ या हमेशा के लिए वंचित हैं उनका 'वापस भेजा जाना' (Restoration) हो सके (सेक्शन 40(2))
3. बाल कल्याण समिति के पास देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे को उनके माता–पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति के पास उनकी क्षमता निर्धारित करके तथा उसकी देखभाल के लिए उन्हें उपयुक्त निर्देश देकर बच्चे को वापस भेजे जाने का अधिकार होगा।

बच्चे की पहचान बताने का निषेध (सेक्शन 74, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार–पत्रक, या श्रव्य–दृश्य मीडिया या संचार के किसी भी अन्य तरीके में बच्चे से जुड़ी जांच या छानबीन या कानूनी प्रक्रिया में (Judicial Procedure) कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (CCL) या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे (CNCP) या अपराध के शिकार बच्चे या अपराध के गवाह बच्चे, किसी भी अन्य कानून जो तत्काल प्रभाव में है से जुड़े बच्चों का नाम, पता या स्कूल या अन्य कोई जानकारी जिससे बच्चे की पहचान उजागर हो, प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, न ही ऐसे बच्चे का चित्र प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- जांच के दौरान यदि समिति के मत में बच्चे की पहचान उजागर करना बच्चे के हित में है तो वह बच्चे की पहचान उजागर करने की अनुमति दे सकती है।

बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति (सेक्शन 90, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

समिति अपने समक्ष, अधिनियम के किसी भी उपबंध (Provision) के तहत प्रस्तुत बच्चे के माता–पिता या अभिभावक जो वास्तव में बच्चे के लिए जिम्मेदार है को, बच्चे की तरफ से जब भी ठीक समझे समिति की कार्यवायी में उपस्थिति होने का आदेश दे सकती है।

बच्चे की उपस्थिति में छूट देना (सेक्शन 91, किशोर न्याय अधिनियम 2015)

- छानबीन के दौरान किसी भी स्तर पर अगर समिति संतुष्ट है कि छानबीन के लिए बच्चे की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो बच्चे की उपस्थिति केवल बयान लेने तक ही सीमित की जा सकती है और अगर समिति ने इस सम्बन्ध में कोई दूसरा आदेश नहीं दिया है तो बच्चे की अनुपस्थिति में ही समिति की जांच चलती रहेगी।
- जब समिति के समक्ष बच्चे की उपस्थिति आवश्यक है तब ऐसा बच्चा अपने और अपने एक अनुरक्षक (Escort) का वास्तविक यात्रा खर्च पाने का हकदार होगा। यह भुगतान समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा किया जाएगा।

बीमारी से पीड़ित बच्चे और चिकित्सा के जरूरतमंद बच्चे का स्थापन (Placement) (सेक्शन 93, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चा यदि समिति के समक्ष लाया जाता है और उसे लम्बे उपचार की जरूरत है तो समिति उसे ऐसे किसी भी चिन्हित उपयुक्त सुविधा में, प्रस्तावित अवधि के लिए भेज सकती है जहां उसका उपचार हो सकेगा।

बच्चे का निवास स्थान पर स्थानान्तरण की कार्य पद्धति (Procedure) (सेक्शन 95, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

1. अगर जांच में यह पाया गया कि बच्चा समिति के कार्य क्षेत्र से बाहर का रहने वाला है और समिति इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे का स्थानान्तरण उसके हित में है तो समिति बच्चे के गृह जनपद से सलाह मशवरा करने के बाद बच्चे की गृह जनपद की समिति में जल्द से जल्द, सभी कार्य पद्धतियों (Procedures) का पालन करते हुए, संबंधित कागजातों के साथ स्थानान्तरण का आदेश पारित कर सकती है।
2. ऐसे मामलों में अगर स्थानान्तरण अन्तर्राज्यीय हो और अगर सुगम हो तो बच्चे को उसके गृह जनपद की समिति को या बच्चे को उसके गृह राज्य की राजधानी की समिति के सुपुर्द किया जाए।

3. जब स्थानान्तरण का फैसला हो जाता है तब आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर समिति द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) को बच्चे के अनुरक्षण के लिए अनुरक्षक आदेश (Escort Order) दे।
4. अगर लड़की हो तो उसके साथ महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए।
5. जहां पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नहीं है तो समिति उस संस्थान को जहां बच्चे को अस्थाई तौर पर रखा गया था या जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे की यात्रा के दौरान अनुरक्षण (Escort) करने का निर्देश देगी।
6. बच्चे के साथ जाने वाले अनुरक्षक (Escort) दल को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता का अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
7. जिस समिति को स्थानान्तरित बच्चे की सुपुर्दगी दी जाएगी वह बच्चे के पुनर्स्थापन या पुनर्वास या सामाजिक सम्मिलन का कार्य अधिनियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार करेगी।

संस्थान से बच्चे को रिहा (Release) करना (सेक्शन 97, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

1. बाल गृह या विशेष गृह में रखे गए बच्चे को परिवीक्षा अधिकारी (Probation Officer) या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर समिति रिहा करने पर विचार कर सकती है। यह रिहाई पूरी तरह हो सकती है या अगर समिति कुछ शर्तें लगाना उचित समझती है तो सशर्त रिहाई भी हो सकती है। इस रिहाई द्वारा बच्चे अपने माता–पिता या अभिभावक या किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की देखरेख में रह सकते हैं जिनका नाम आदेश में हों और जो उस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहते हों, जो शिक्षित तथा किसी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हों या उसके पुनर्वास पर ध्यान देना चाहते हों।

2. जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चे को रखा गया है अगर वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असफल हो तो आवश्यकता होने पर समिति बच्चे की जिम्मेदारी वापस ले लेगी और बच्चे को संबंधित संस्थान में पुनः रख देगी।

संस्थान में रहने वाले बच्चे की अनुपस्थिति के लिए अवकाश (सेक्शन 98, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

1. विशेष अवसरों जैसे– परीक्षा, रिश्तेदारों की शादी, संबंधी–रिश्तेदार की मृत्यु या दुर्घटना या माता–पिता की गंभीर बीमारी या किसी प्राकृतिक आपातकालीन स्थिति में समिति किसी भी बच्चे को संस्थान से अनुपस्थित रहने के लिए पर्यवेक्षण में अवकाश दे सकती है। सामान्यतः यह अवकाश एक बार में सात दिन से अधिक की अवधि का नहीं होगा, इसमें यात्रा करने का समय शामिल नहीं है।
2. जिस संस्थान से बच्चे की अनुपस्थिति होगी, अवकाश की अनुमति जिस सेक्शन के तहत दी गई है उसके अनुपालन में बच्चे को जितने समय के लिए बाल गृह या विशेष गृह में रखना है, उसकी समयावधि में अवकाश का समय भी शामिल माना जाएगा।
3. अगर कोई बच्चा अवकाश का निर्धारित समय पूरा हो जाने के बाद वापस आने से मना करता है या नहीं आता हो, तो अगर आवश्यक हो तो समिति उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने और संबन्धित संस्थान में वापस लाने के लिए कार्यवायी करेगी।

चरण 3: बाल कल्याण समिति के समक्ष लाए गए व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने की कार्य पद्धति (Procedure) क्या है?

उम्र का अनुमान और निर्धारण (सेक्शन 94, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

1. अधिनियम के किसी भी प्रावधान (साक्ष्य देने के अलावा) के तहत समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति को देखने से यदि समिति को जाहिर हो कि वह व्यक्ति एक बच्चा है तो समिति उम्र के निर्धारण का इन्तजार किए बिना और व्यक्ति की अनुमानित उम्र का अवलोकन दर्ज करके अपनी छानबीन जारी रखे।
2. समिति के समक्ष लाए गए व्यक्ति की उम्र के बारे में ठोस कारणों के आधार पर समिति के उस व्यक्ति की उम्र के बारे में शंका होने की स्थिति में, मामले अनुसार समिति को उम्र निर्धारण की प्रक्रिया, साक्ष्य लेकर पूरी करनी चाहिए:

- अगर उपलब्ध हो तो विद्यालय से जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र या मैट्रिक अथवा उसके बराबर की परीक्षा का परीक्षा बोर्ड से प्रमाण–पत्र और इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में;
- नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र;
- ऊपर के पहले और दूसरे प्रकार के प्रमाण पत्रों के अभाव में उम्र का निर्धारण अस्थि विकास जांच या अन्य किसी उम्र निर्धारण के नवीन चिकित्सीय जांच के द्वारा उम्र का निर्धारण समिति के आदेश पर किया जाएगा।

3. बशर्ते कि आदेश पारित होने के 15 दिन के अंदर इस तरह का उम्र निर्धारित करने वाली चिकित्सीय जांच पूरी कर ली जाए।

सुगमकर्ता के लिए नोटः

बाल कल्याण समिति के सदस्यों का बच्चों के ऐसे मामलों से पाला पड़ता है जिसमें बच्चे मानसिक आघात की विभिन्न स्थितियों में होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ कार्य करने के लिए व्यक्ति का वैचारिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सुगमकर्ता को सक्रिय रूप से ध्यान से सुनने (Active Listening), समानुभूति (Empathy), और बच्चे के विचारों को सुनने के महत्व पर जोर देना होगा। खासतौर से जब बच्चे बड़े हों और अपने सबसे अच्छे सहारे के बारे में निर्णय ले सकते हों। यह गतिविधियां सुगमीकरण कौशल वाले मॉड्यूल में शामिल की गई हैं। 'समानुभूति' पर एक अन्य गतिविधि विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) मॉड्यूल में भी शामिल है।

4. समिति के समक्ष लाए गए व्यक्ति की समिति द्वारा दर्ज की गई उम्र, इस अधिनियम के लिए व्यक्ति की सही उम्र मानी जाएगी।

आदेश के लिए प्रथमः संलग्नक 1 से 9

संदर्भ और अतिरिक्त पाठय सामग्रीः बाल कल्याण समिति के सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व

https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=1609&lid=1548

http://justiceandhope.org/wp-content/uploads/2017/02/2.-SOP-for-CWC-Maharashtra.pdf?x95522

https://www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/powers.pdf

https://jhalsa.org/pdfs/juvenile/forms.pdf

संलग्नक 1

प्रपत्र – 25

नियम 19(29)

दत्तक ग्रहण के लिए

बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण योग्य घोषित करने संबंधी प्रमाण पत्र

1. किशोर न्याय (बालकों) की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 38 के अधीन..... बाल कल्याण समिति में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस समिति के आदेश संख्या ..... तारीख ..... द्वारा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखरेख संस्था (नाम तथा पता) की देखरेख में रखा गया बाल..... जन्म तिथि को निम्नलिखित के आधार पर कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के योग्य घोषित किया जाता है

- यथास्थिति परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्मिक/मामला कार्मिक/अन्य
- इस समिति के समक्ष (तारीख) के जैविक माता-पिता(ओं) अथवा कानूनी संरक्षक द्वारा निष्पादित अभ्यर्पण का विलेख
- इस आशय से संबंधित जिला बाल कल्याण संरक्षण यूनिट और बाल देखरेख संस्था अथवा विशिष्टता प्राप्त अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40(1) के अंतर्गत यथा-अपेक्षित पुन :स्थापन के प्रयास किए हैं, नियम तथा दत्तक ग्रहण विनियम लेकिन उक्त घोषणा की तारीख तक जैविक माता-पिता अथवा कानूनी संरक्षक के रूप में किसी ने उनसे बालका दावा करने के लिए संपर्क नहीं किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक, जहां उपलब्ध हो, को उनकी सहमति के प्रभाव से अवगत कराते हुए परामर्श दिया गया है जिसमें बालक का स्थापन अथवा दत्तक ग्रहण भी शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालक और उसके मूल परिवार के बीच कानूनी संबंध समाप्त हो जाएगा।

जैविक माता-पिता/कानूनी संरक्षक ने अपनी-अपनी सहमति, अपेक्षित विधिक प्रपत्र में मुक्त रूप से दी है और ये सहमतियां किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा मुआवजे से प्रेरित नहीं है और माता की सहमति (जहां लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी गई है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण/बाल देखरेख संस्था, जिसे उक्त बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, केयरिंग्स में बच्चों का फोटोग्राफ तथा अन्य आवश्यक ब्यौरे भेजेगी तथा अधिनियम एवं दत्तक ग्रहण के विनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण में रखेगी ।

हस्ताक्षर

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य

(बाल कल्याण समिति की मुहर)

तारीख :

स्थान :

सेवा में : संबंधित बाल देखरेख संस्था/विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी/जिला बाल संरक्षण इकाई –सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

संलग्नक 2

प्रपत्र 24

[नियम 19(22)]

बालक अथवा बालकों को अभ्यर्पित करने के लिए व्यक्ति की घोषणा

मामला संख्या .....

मैं/हम ..... (पारिवारिक नाम/पहला नाम) निवासी..... कारणों से, ... वर्ष के बालक(नाम) जिसकी जन्म की तारीख ..... है, को अभ्यर्पित करते हैं।

(ii) मैं/हम अपने बालक अथवा बच्चों को अपनी ओर से बगैर किसी जबरदस्ती, दबाव, धमकी, भुगतान, विचार, किसी प्रकार के मुआवजे के अभ्यर्पित कर रहा हूं/रहे हैं।

(iii) मुझे/हमें विवक्षा के बारे में परामर्श दिया गया है और यह जानकारी दी गई है कि मैं/हम इस अभ्यर्पण विलेख के 60 वें दिन तक अपनी सहमति वापिस ले सकता हूं/सकते हैं, जिसके बाद मेरी/हमारी सहमति अपरिवर्तनीय होगी और मेरा/हमारा बालक/बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।

(iv) मुझे/हमें अभ्यर्पण की विवक्षाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है और इस तथ्य की जानकारी है कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से 60वें दिन के बाद, मेरे/हमारे बालक अथवा बच्चों के बीच मेरे/हमारे कानूनी माता-पिता बालक के संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे

(v) मैं/हम समझता हूं/समझते हैं कि हमारे बालक का दत्तक ग्रहण भारत में अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किया जाए और इस प्रयोजन हेतु उन्हें मेरी/हमारी सहमति दी जाए

(vi) मैं/हम समझता हूं/समझते हैं कि मेरे/हमारे बालक के दत्तक ग्रहण से दत्तक ग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता संबंध स्थापित होंगे और बालक को वापिस लेने को दावा नहीं किया जा सकता।

(vii) मैं/हम चाहता हूं/चाहते हैं/नहीं चाहता हूं/नहीं चाहते हैं (कृपया जो प्रयोज्य हो, उस पर √ का निशान लगाएं) अपनी पहचान नहीं चाहता हूं/चाहते हैं और जब हमारा बालक मूल खोज के लिए लौटता हैतो उसे मेरी/हमारा पता न बताया जाए।

(viii) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह समझ गए हैं।

.....को..... में किया गया।

(अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

2. साक्षी द्वारा घोषणा

हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अभ्यर्पण के लिए गवाही दी है।

(क) : पहले साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता

.....

.....

(ख) : दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा पता

.....

.....

3. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति तथा साक्षी (नाम) अथवा पहचान किए इस तारीख को मेरे समक्ष उपस्थित हुए और इस दस्तावेज को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया ।

बाल कल्याण समिति के सदस्यों/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा सील

संलग्नक 3

प्ररूप 18

[नियम 18 (5), 18 (9) और 19 (26)]

बालक को किसी संस्था में भेजने संबंधी आदेश

(बाल गृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए)

मामला सं.....

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

जबकि बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय(देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देख-रेख और बचाव अधीन ..... (बालक का नाम), सपुत्र/सुपुत्री श्री.....,
आयु.....निवासी..... ..... को, मास ....., 201 ..के .....दिन, ...अवधि के लिए, बाल गृह/एसएए/उपयुक्त सुविधा .....में रखने का आदेश जारी करती हैं।

उपर्युक्त आदेश का कानूनानुसार अनुपालनार्थ, आपको कथित बालक को अपने प्रभार (उत्तरदायित्व) में लेने तथा उसे बाल गृह/उपयुक्त सुविधा/एसएए में रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। अनाथ या परित्यक्त बालक का मामला होने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी इसका विवरण बाल खोज/संबंधित वेब-पोर्टल पर अपलोड करेगा ।

मेरे हस्ताक्षर और बाल कल्याण समिति की मुहर के अधीन।

तारीख .....

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/ सदस्य

बाल कल्याण समिति

अनुलग्नक:

आदेश की प्रति गृह का विवरण तथा पिछला अभिलेख, मामले का इतिहास और वैयक्तिक देखरेख योजना, जो भी लागू हो:

संलग्नक 4

प्ररूप 20

[नियम 18(8)]

माता-पिता , संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा

घोषणा-पत्र

मैं, ... निवासी मकान नंबर.....गली .....
,गांव/नगर..... जिला .....राज्य
.....,एतद्वारा घोषणा करता हूं कि बाल कल्याण समिति,..... के आदेशानुसार निम्न शर्तों के आधार पर ....(बच्चे का नाम).....(आयु) को मैं, अपनी देख-रेख में लेने का इच्छुक हूं :

1. यदि उसका आचरण असंतोषजनक होगा तो मैं तुरंत समिति को सूचित करुंगा ।
2. जब तक वह मेरी देखरेख में रहेगा, मैं कथित बाल के कल्याण और शिक्षा की अपनी ओर से उत्तम व्यवस्था करुंगा तथा उसके पालन पोषण के उपयुक्त प्रबंध करूंगा।
3. उसके रूग्ण होने की स्थिति में नज़दीकी अस्पताल में उचित चिकित्सा करवाऊंगा।
4. समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा तथा इनके अनुपालन के बारे में समिति को सूचित करता रहूंगा। ।
5. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यथावश्यक होने पर उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।
6. बालक के मेरे प्रभार या नियंत्रण से बाहर हो जाने की स्थिति में, समिति को तुरंत सूचित करुंगा।

तारीख _____

(हस्ताक्षर)

बाल कल्याण समिति के समक्ष हस्ताक्षरित

संलग्नक 5

प्ररूप 22

नियम 19(8)

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट

क्र.सं. .....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत .....

मामला सं.....

बाल कल्याण अधिकारी/समाज सेवक/मामला कार्यकर्ता/ गृह के प्रभारी व्यक्ति/गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक का विवरण:

1. नाम .....

2. आयु/तारीख/जन्म का वर्ष

3. लिंग.....

4. जाति .....

5. धर्म .....

6. पिता का नाम .....

7. माता का नाम.....

8. अभिभावक का नाम .....

9. स्थाई पता.....

10. पते का लैंडमार्क.....

11. पिछले निवास का पता .....

12. पिता/माता/परिवार के सदस्य का संपर्क नं. .....

13. यदि बालक विकलांग हो : हां/नहीं

(i) श्रवण अक्षमता

(ii) वाक़ अक्षमता

(iii) शारीरिक नि:शक्तता

(iv) मानसिक रूप से अक्षम

(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

14. परिवार के ब्यौरे :

क्र.सं. (1)	नाम तथा संबंध (2)	आयु (3)	लिंग (4)	शिक्षा (5)	व्यवसाय (6)	आय (7)	स्वास्थ्य की स्थिति (8)	मानसिक रुग्णता का पूर्ववृत (9)	व्यसन (10)

15. परिवार के बीच संबंध

i पिता तथा माता ii पिता तथा बालक iii माता तथा बालक	सौह्रार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात सौह्रार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात सौह्रार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
iv पिता तथा सहोदर	सौह्रार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
v माता तथा सहोदर vi बालक तथा सहोदर vii बालक तथा नातेदार	सौह्रार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात सौह्रार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात सौह्रार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

16. बालक यदि विवाहित है तो पत्नी और बच्चों के नाम, आयु तथा ब्यौरे :

17. परिवार के सदस्यों द्वारा अपराधों में शामिल होने का पूर्ववृत, यदि कोई हो :-

क्र. सं.	नातेदारी	अपराध का स्वरूप	मामले को कानूनी स्थिति	की गई गिरफ्तारी यदि हुई है	परिरोध की अवधि	दिया गया दंड
1	पिता					
2	सौतेला पिता					
3	माता					
4	सौतेली माता					
5	भाई					
6	बहन					
7	अन्य (चाचा/चाची/दादा/दादी					

18. धर्म के प्रति मनोवृत्ति.....

19. रहन-सहन की वर्तमान परिस्थितियां .....

20. अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण, यदि कोई है.....

21. बालक की आदतें

(क)	(ख)
(i) धूम्रपान	(i) दूरदर्शन/सिनेमा देखना
(ii) मद्यपान	(ii) इंडोर/आउटडोर खेल खेलना
(iii) नशीली दवाओं का सेवन करना (विनिर्दिष्ट करे)	(iii) पुस्तकें पढ़ना
(iv) जुआ खेलना	(iv) धार्मिक गतिविधियां
(v) भिक्षा मांगना	(v) आरेखण/रंगसाजी/अभिनय/गायन
(vi) कोई अन्य	(vi) कोई अन्य

22. पाठ्येत्तर रूचियां.....

23. उत्कृष्ट विशेषताएं तथा व्यक्तित्व - विशेषताएं.....

24. बालक का शैक्षणिक ब्यौरा (जो भी प्रयोज्य हो उसे √ करें)

(i) अशिक्षित

(ii) पांचवी कक्षा तक अध्ययन

(iii) पांचवी कक्षा से अधिक परंतु आठवी से कम अध्ययन

(iv) आठवी कक्षा से अधिक परंतु दसवी से कम अध्ययन

(v) दसवी कक्षा से अधिक अध्ययन

25. बालक की शिक्षा के ब्यौरे जिसमें वह विगत में पढ़ा था (जो भी प्रयोज्य हो उसे √ करें)

क. निगम/नगर निगम/पंचायत

ख. सरकारी/अनुसूचित जाति कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल

ग. निजी प्रबंधन

घ. एन. सी. एल. पी. के अन्तर्गत विद्यालय

26. बालक के प्रति कक्षा के साथियों का व्यवहार.....

27. बालक के प्रति शिक्षक तथा साथियों का व्यवहार.....

28. विद्यालय छोड़ने के कारण (जो भी प्रयोज्य हो उसे √ करें)

क. अंतिम बार अध्ययनरत कक्षा में अनुर्त्तीण होना

ख. विद्यालय के कार्यकलापों में रूचि की कमी

ग. शिक्षकों का उदासीन रुझान

घ. संगी साथियों का प्रभाव

ड़. परिवार के लिए अर्जन तथा समर्थन

च. माता-पिता की अचानक मृत्यु

छ. स्कूल में भयाभिभूत

ज. विद्यालय का सख्त माहौल

झ. विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थित

ञ. समीप के स्कूल का स्तर उपयुक्त नहीं है

ट. स्कूल में दुर्व्यवहार

ठ. विद्यालय में अवमानना

ड. शारीरिक दंड

ढ. शिक्षा का माध्यम

ण. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

29. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो.....

30. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हो.....

31. आय के उपयोग के ब्यौरे.....

32. कार्य का अभिलेख (व्यावसायिक रूचियों को छोड़ने के कारण, नौकरी अथवा नियोक्ताओं के प्रति व्यवहार).....

33. अधिकांश मित्र है (जो प्रयोज्य हो उसे √ करें)

(क) शिक्षित

(ख) अशिक्षित

(ग) एक ही आयु वर्ग

(घ) आयु में बड़े

(ड़) आयु में छोटे

(च) एक ही लिंग के

(छ) दूसरे लिंग के

(ज) व्यसन वाले

(झ) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले

34. मित्रों के प्रति बालक का व्यवहार.....

35. बालक के प्रति मित्रों का व्यवहार.....

36. आस पड़ोस के बारे में प्रेक्षण (बालक पर आस-पड़ोस को प्रभाव का मूल्यांकन करना).....

37. बालक की मानसिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में) .....

38. बालक की शारीरिक स्थिति (वर्तमान में तथा विगत में) .....

39. बालक की स्वास्थ्य स्थिति

(i) श्वसन संबंधी दोष– पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(ii) बहरापन संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(iii) नेत्र रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(iv) दंत रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(v) हृदय रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(vi) चर्म रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(vii) यौन संक्रमित रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(viii) तन्त्रिका संबंधी रोग संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(ix) मानिसक विकलांगता संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(x) शारीरिक विकलांगता संबंधी दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(xi) मूत्रीय क्षेत्र संक्रमण संबंध दोष- पाया गया/अज्ञात/नहीं पाया गया

(xii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

40. क्या बालक को कोई व्यसन है? हां/नहीं

41. बालसमिति के समक्ष लाने से पूर्व किसके साथ रह रहा था?

(i) माता पिता – माता/पिता/दोनों

(ii) सहोदर –

(iii) संरक्षक – संबंध

(iv) मित्र

(v) बेसहारा

(vi) रात्रिकालीन आश्रय गृह

(vii) अनाथालय/होस्टल/ऐसे अन्य गृह

(viii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

42. घर से भागने के लिए बालक का पूर्ववृत/प्रवृति, यदि कोई हो

43. घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का रूख तथा बालक की प्रतिक्रिया

44. परिवार छोड़ने के कारण (जो प्रयोज्य है उसे √ करें)

(i) माता-पिता(ओं)/संरक्षक(कों)/सौतेले माता-पिता(ओं) द्वारा दुर्व्यवहार

(ii) रोजगार की तलाश में

(iii) संगी साथियों का प्रभाव

(iv) माता-पिता की असमर्थता

(v) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार

(vi) माता-पिता से पृथक

(vii) माता-पिता की अचानक मृत्यु

(viii) निर्धनता

(ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

45. क्या बालक किसी अपराध का शिकार है हां/नहीं

46. बालक पर हुए दुर्व्यवहार के प्रकार(जो प्रयोज्य उसे √ करें)

(i) मौखिक दुर्व्यवहार – माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ii) शारीरिक दुर्व्यवहार

(iii) यौन दुर्व्यवहार – माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iv) अन्य - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

47. बालक पर हुए दुर्व्यवहार के प्रकार (जो प्रयोज्य है उसे √ करें)

(i) भोजन न देना – माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ii) निर्दयता से पिटाई करना - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iii) क्षति कारित - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iv) निरूद्ध रखना - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) - माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

48. बालक का शोषण

(i) बिना वेतन दिए काम कराना

(ii) न्यूनतम मजदूरी देकर अधिक काम कराना

(iii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

49. क्या बालक को लाया गया था अथवा बेचा गया था अथवा उपाप्त किया गया था अथवा किसी दुर्व्यापार हेतु सौदा (अवैध व्यापार) किया गया था? हां/नहीं

50. क्या बालक को भिक्षा मांगने के काम में लगाया गया है? हां/नहीं

51. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गिरोह अथवा वयस्कों अथवा वयस्कों के समूह द्वारा अथवा मादक पदार्थ के वितरण के लिया किया जाता है? हां/नहीं

52. पिछला संस्थागत/मामला पूर्ववृत और वैयक्तिक देखरेख योजना, यदि कोई हो

53. अपराधकर्ता के ब्यौरे (जैसे कि नाम, आयु, संपर्क नंबर, पते के ब्यौरे, शारीरिक विशेषताएं, परिवार, शामिल मध्स्थ व्यक्ति के साथ संबंध, क्या उसी गांव से अन्य कोई बालकर्ता के द्वारा भेजा गया है जिससे दुर्व्यवहार किया जाता हो/उत्पीड़ित किया जाता हो, बालक अपराधकर्ता के संपर्क में किस प्रकार आया)

54. अपराधकर्ता के प्रति बालक का रवैया

55. क्या पुलिस को सूचित किया गया है

56. अपराधकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो

57. अन्य कोई टिप्पणी

जांच में प्रेक्षण

1. भावनात्मक कारण

2. शारीरिक स्थिति

3. समझ

4. सामाजिक तथा आर्थिक कारण

5. समस्याओं के लिए सुझाए गए कारण

6. मामले का विश्लेषण जिसमें अपराध के कारण/सहयोगी कारण शामिल हैं

7. देखरेख तथा संरक्षण के लिए बालक की जरूरतों के कारण

8. विशेषज्ञ जिनसे परामर्श किया गया, उनकी राय

9. मन:सामाजिक विशेषज्ञ का मूल्यांकन

10. धार्मिक कारण

11. बालक को परिवार को वापिस दिए जाने के लिए, बालक का जोखिम विश्लेषण

12. पिछले संस्थागत/मामले का पूर्ववृत और वैयष्टिक देखरेख योजना, यदि कोई हो

13. बालक की मनोवैज्ञानिक सहायता पुनर्वास तथा पुन:एकीकरण के संबंध में बाल कल्याण अधिकारी/मामला वर्कर/सामाजिक वर्कर की सिफारिश तथा सुझाई गई योजना

(हस्ताक्षर)

(नियुक्त किए गए व्यक्ति के)

संलग्नक 6

प्ररूप 44

{नियम 82 (1)}

निर्मुक्त सह पुन:स्थापन आदेश

बालक/बालिका का नाम..... .पुत्र/पुत्रीश्री..... निवासी..... . प्रकरण सं./प्रोफाइल सं. ..... जिसे किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा के तहत बाल न्याय बोर्ड /बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति ..... द्वारा दिनांक ..... को ..... की अवधि के लिए संप्रेषण गृह/सुरक्षित स्थल/विशेष गृह/ बाल गृह में रखे जाने के आदेश दिए थे और जो अब ..... संस्था में .....स्थान पर है, को निदेश दिए जाते हैं कि उसके प्रवास की शेष अवधि के दौरान ..... के कारण से उक्त.....संस्था और पर्यवेक्षेणतथा प्राधिकार से विमुक्त किया जाए.

यह आदेश यहां नीचे वर्णित शतों के अधीन दिया जाता है और जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा.

तारीख :

हस्ताक्षर

किशोर न्याय बोर्ड /बाल न्यायालय /बाल कल्याण समिति

स्थान:

शर्तें :

1. निर्मुक्त व्यक्ति ..... को प्रस्थान करेगा और बाल गृह अथवा उपयुक्त सुविधा संप्रेषण गृह में नजरबंदी /विशेष गृह /सुरक्षित स्थल में उसके प्रवास की अवधि की अवधि के समाप्त होने तक .....के पर्यवेक्षण और प्राधिकार में तब तक रहेगा जब तक माफी को शीघ्रता से से निरस्त नहीं कर दिया जाता है.

2. वह..... की सहमति के बिना उस स्थान अन्य किसी स्थान , जो ..... उक्त के द्वारा नामक हो सकता है,स्वयं को अलग नहीं करेगा

3. वह समय पाबंदी और विद्यालय / किसी कार्य /व्यवसाय में नियमित उपस्थिति के बारे में या अन्य प्रकार के उक्त.....से प्राप्त हुए ऐसे अनुदेश का पालन करेगा.

4. वह किसी अपराध में शामिल नहीं रहेगा और वह..... की संतुष्टि के अनुरूप संयमी और मेहनती जिंदगी बिताएगा.

6. उपरोक्त किसी शर्त के भंग हो जाने की स्थिति में इसके द्वारा प्रदान की गई संस्थान में प्रवास की अवधि की माफी की उक्त शर्त निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे निरस्त किए जाने से उस पर किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 97 के तहत कार्रवाई की जाएगी

मैं इसके द्वारा अभिस्वीकृति देता हूं कि मैं उपरोक्त शर्तों से अवगत हूं और उन शर्तों को पढा गया और मुझे स्पष्ट किया गया है तथा मैं उनको स्वीकार करता हूं.

निर्मुक्त बालक के हस्ताक्षर / चिन्ह

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें ..... (बालक का नाम) के सामने पढी गईं और स्पष्ट की गईं और कि वह उन शर्तों को स्वीकार करता/करती है जिन पर उसका /उसकी निर्मुक्ति उन्मोचित हो सकती है.

तद्नुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालतारीख.....को विनिर्मुक्त कर दिया गया है.

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात संस्था के प्रभारी व्यक्ति

के हस्ताक्षर और पदनाम

संलग्नक 7

प्ररूप 45

{ नियम 82 (4) }

मार्गरक्षा आदेश

प्रकरण संख्या

.....बाल/ बालिका के मामले में

आयु लगभग ..... दर्ज की गई

बाल/ बालिका के माता-पिता के ..... स्थान पर रहने की सूचना है.

इसलिए वह समुचित पुलिस / मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन की देख-रेख में .....की अभिरक्षा में भेजें.

उपरोक्त वर्णित पते अथवा उस अन्य स्थल जो बच्चे द्वारा दर्शाया जाए, पर उक्त बालक/बालिका के माता पिता अथवा नजदीकी सगे संबंधियों की तलाश करने और सौंपने , अगर उन माता पिता अथवा सगे संबंधी की तलाश नहीं हो पाती है या उनकी तलाश तो हो जाती है किंतु वे बालक बालिका को लेने के लिए इच्छुक नहीं हों तो बालक बालिका को उक्त जिले के बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह के प्रभारी ..... की अभिरक्षा में रखा जाए और उपरोक्त बालक बालिका को अगले आदेश के लिए संबंधित बाल कल्याण समिति /किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए.

अनिर्णीत अभिरक्षण के समय उपरोक्त बालक/ बालिका बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह, ... के वर्तमान निवास में रहेगा. राज्य/जिला बाल सुरक्षा इकाई अथवा पुलिस विभाग अथवा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन / चाइल्डलाइन उनके द्वारा इस आदेश के मिलने की तारीख से कम से कम 15 दिन में शीघ्रता से अवश्य व्यवस्था करेगा और उपरोक्त बालक/ बालिका को उसके पूर्वोक्त निवास स्थल पर भेजा जाएगा.

आज दिनांक ..... को 20

अध्यक्ष / सद्स्य

बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी व्यक्ति, बाल देखभाल संस्था

2. जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन

.....को जन्मे.....नाबालिग का आदेश प्रोफाइल सं.

संलग्नक 8

प्ररूप 41

[नियम 69 (ग) (1)]

संरक्षण अभिरक्षा कार्ड

1. बालक का नाम :
2. बालक की आयु:
3. माता का नाम :
4. पिता का नाम :
5. माता-पिता/अभिभावक का पता
6. संगठन/संस्था द्वारा प्राप्ति की तारीख :
7. बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क ब्यौरा :
8. जांच की तारीख :

आपको प्राधिकृत किया और निदेश दिया जाता है कि अपनी बाल देखभाल संस्था में उक्त नाम के बालक को प्राप्त करें और जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत संरक्षण अभिरक्षा के लिए उसे अपनी निगरानी में रखें।

और बालक तारीख..... को पेश करें।

सुनवाई की अगली तारीख .....

(हस्ताक्षर)

प्रधान न्यायाधीश / सदस्य,

किशोर न्याय बोर्ड